



कार्यालय, अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना

डाण्डा लखौण्ड, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून -248001

ई-मेल: ayushmanuttarakhand@gmail.com



पत्रांक: अ0आ0उ0यो0 / 2019-20 / क्लेम मैनेजमेंट / Sita Ram Dhar.Med.Hosp. / 85 / 22

दि0 15/10/19

प्रेषित,

डॉ0 श्री अशोक कुमार,
संस्थान प्रमुख,
सीता राम अग्रवाल धमार्थ मेडिकल सेन्टर शक्ति उपासना ट्रस्ट,
हरिद्वार, उत्तराखण्ड।

विषय: सूचीबद्धता हेतु किये गये अनुबन्ध के Section 11 Para 2 के अनुसार 01 माह का नोटिस प्रेषित किये जाने विषयक।

महोदय,

Sita Ram Aggarwal Dharmarth Medical Centre Shakti Upasna Trust, Haridwar के द्वारा योजना के अन्तर्गत दिनांक 18 फरवरी 2019 को ऑनलाईन आवेदन किया गया, दिनांक 13 मार्च 2019 को जनपद स्तरीय इम्पैनलमेंट समिति की संस्तुति उपरान्त राज्य हेल्थ एजेंसी द्वारा दिनांक 03 अप्रैल 2019 को योजना के अंतर्गत ऑनलाईन पंजीकृत किया गया। अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के अन्तर्गत Sita Ram Aggarwal Dharmarth Medical Centre Shakti Upasna Trust, Haridwar के द्वारा अनुबन्ध हस्ताक्षरित करने के उपरान्त योजना के अन्तर्गत सूचीबद्धता प्राप्त की गई थी। सूचीबद्धता हेतु किये गये अनुबन्ध के Section 11 Para 2 के अनुसार

Section 11: Termination

2. This Agreement may be terminated by either party by giving one month's prior written notice by means of registered letter or a letter delivered at the office and duly acknowledged by the other, provided that this Agreement shall remain effective thereafter with respect to all rights and obligations incurred or committed by the parties hereto prior to such termination.

Sita Ram Aggarwal Dharmarth Medical Centre Shakti Upasna Trust, Haridwar के सम्बन्ध में ऐसा उचित प्रतीत होता है कि चिकित्सालय को एक माह का नोटिस देने के उपरान्त अनुबन्ध समाप्त करते हुए योजना से सूचीबद्धता समाप्त किया जाये।

अतः Sita Ram Aggarwal Dharmarth Medical Centre Shakti Upasna Trust, Haridwar को अनुबन्ध के Section 11 Para 2 के अनुसार नोटिस के माध्यम से एक माह का नोटिस दिया जाता है। एक माह के नोटिस के पश्चात चिकित्सालय से अनुबन्ध समाप्त समझा जायेगा। इस नोटिस को ई-मेल द्वारा प्रेषित करने के साथ-साथ रजिस्टर्ड डाक से भी प्रेषित किया जायेगा।

भवदीय,

(अरुणेन्द्र सिंह चौहान)

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,

अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना।

प्रतिलिपि सूचनार्थः

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभिकरण (NHA), भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. अध्यक्ष, कार्यकारिणी समिति, अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना, देहरादून।

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु:

1. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड।
2. जिला अधिकारी, जनपद हरिद्वार।
3. समस्त निदेशक, अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना, राज्य स्वास्थ्य अभिकरण (SHA)।
4. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जनपद हरिद्वार।
5. राज्य समन्वयक, क्रियान्वयन सहायता एजेंसी, अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना।
6. आई0टी0 सह डाटा प्रबंधक को वेबसाइट में अपलोड करने हेतु।
7. गार्ड फाइल।

(अरुणेन्द्र सिंह चौहान)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना।